भारत सरकार **Government of India**
रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**
(रेलवे बोर्ड) **(Railway Board)**

Office Order No. 5 of 2025

Sub: Handling of Parliament Questions

Time to Time instructions have been issued with regard to marking and handling of Parliament Questions. However, it has been observed that often notices marked by the Parliament Branch are not accepted by the concerned Additional Members/PEDs/EDs/JSs on the plea that the question pertains to some other Directorate.

2. **The above leads to delay in timely submission of draft reply to CRB&CEO and to Hon'ble MR's office.**

3. **Attention in this connection is invited to para 8.8(iii)(a&b) of Board's MOP, 6th edition, 2022.** Relevant extract is enclosed at **Annexure-I.** As per extant procedure, marking made by Parliament Branch is to be treated as final. However, in rare cases, if dispute arises with regard to subject matter of Parliament Question for handling the question, decision/ruling given by Secretary, Railway Board in this regard is to be treated as final and binding.

4. In accordance with extant instructions, it may be reiterated that subsequent to marking of Parliament Question by Parliament Branch, the same is to be accepted by all concerned and not to be returned with remarks like 'Does Not Pertain/Pertain to other Directorate' etc. The concerned Officer to whom the notice is sent, is not only required to accept the question for processing but also to be fully responsible for its timely processing unless the marking is changed on review/or on referring it to Secretary/Railway Board. **Till the marking is changed, the responsibility would lie on the officer to whom the question has been marked originally.**

4.1 It is reiterated that in case AM/PED/ED/JS/IG is of the view that a particular question has been wrongly marked, the same be sent by them to the concerned Directorate (AM/PED/ED/JS) giving sufficient reasons for such transfer, duly routing it through Parliament Branch for information & record. Wherever necessary, AMs /PEDs/EDs/JSs/IG should discuss the matter with their counterparts to sort out the dispute. While refusing a question, specific and detailed reasons be recorded by each Officer with supporting documents.

--2/-

4.2 In case, dispute persists, the same be referred to Secretary/Railway Board with proper reasoning/supporting documents (with regard to concerned branch to which it pertains) with comments of Parliament Branch, for ruling to be given by Secretary/Railway Board through O&M unit. The ruling given by Secretary, Railway Board is to be treated as final and binding and shall not be challenged. Any subsequent dispute be taken up, post reply of the question for issue of correction slip in concerned branch duty list.

5. Strict compliance of above instructions may please be ensured.

No.2018/Parl/1/Questions
Dated: 08 /01/2025

Aruna Nayar
(Aruna Nayar)
Secretary/RailwayBoard
Tele No: 011-23385227
Email:secyrb@rb.railnet.gov.in

All Officers and Branches at Railway Board, COFMOW Building and at Dayabasti New Delhi.

PSO/SrPPS/PPS/PS CRB &CEO, MF, M/Infra, M/TRS & M/O&BD

DG/Safety, DG/HR, DG/RHS, DG/RPF

All Additional Members/PEDs

All EDs/JSs/IGs with independent charge & EDCC

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)

8.8. Procedure for Dealing with Parliament Questions in the case of dispute:-

i) If a question is wrongly addressed to a Minister, the Ministry to which the advance copy has been sent, should immediately contact the appropriate Ministry and obtain its concurrence to the transfer of the question. If the Ministry addressed accepts the transfer, the Parliament Secretariat should at once be informed of it. Such transfers of questions should invariably be routed through the Parliament Branch in the Railway Ministry.

ii) If a question concerns more than one Ministry, it should be taken over by the Ministry mostly concerned. When a question of this nature is received, the branch concerned should furnish relevant information in regard to the portion relating to the Railway Ministry to the other Ministry, after ascertaining from the latter that they will take over the question or obtain necessary information from the other Ministry if the question is to be taken over by the Railway Ministry as the case may be.

iii) a) It has been observed that at times delay occurs in initiating action on Parliament Questions due to disputes among Directorates in regard to the marking of the Questions. With a view to eliminating delays in this regard, marking of the Parliament Questions by the Parliament section should be treated as final. In case, however, an AM, PED or an Executive Director (with Independent Charge) considers that the Question does not relate to his Directorate, he will discuss the matter personally with JS(P) or if necessary with Secretary. The decision arrived at after discussion will be final.

(b) A question which concerns several Directorates of the Board's Office will be handled by the Directorate to which the first part relates. In case the first part is inconsequential or refers to an abstract phrase or main issue is based on other part of the question or concerns more than one Directorate, the Question will be handled by the Directorate to which the main subject relates and the decision of the Secretary in this regard will be final & binding. The Directorate handling the Question will be responsible to collect the necessary information from the other Directorates concerned and put up the complete reply.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

2025 का कार्यालय आदेश सं. 5

विषय : संसदीय प्रश्नों का निपटान

संसदीय प्रश्नों की मार्किंग और उनके निपटान के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। बहरहाल, यह देखा गया है कि संसद शाखा द्वारा मार्क किए गए नोटिस को प्रायः संबंधित अपर सदस्यों/प्रधान कार्यपालक निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों/संयुक्त सचिवों द्वारा इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया जाता हैं कि यह प्रश्न किसी अन्य निदेशालय से संबंधित है।

2. इसके परिणामस्वरूप अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और माननीय रेल मंत्री कार्यालय को मसौदा उत्तर समय पर प्रस्तुत करने में विलंब होता है।

3. **इस संबंध में आपका ध्यान बोर्ड कि कार्यालय पद्धति नियमावली, छठे संस्करण, 2022 के पैरा 8.8(iii)(क और ख) की आकृष्ट किया जाता है।** प्रासंगिक सार **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, संसद शाखा द्वारा की गई मार्किंग को अंतिम माना जाएगा। बहरहाल, असामान्य मामलों में, यदि प्रश्न के निपटान हेतु संसदीय प्रश्न की विषय-वस्तु के संबंध में कोई विवाद होता है तो इस संबंध में सचिव, रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय/आदेश को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

4. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, यह दोहराया जाता है कि संसद शाखा द्वारा संसद प्रश्न की मार्किंग को सभी संबंधितों द्वारा स्वीकार किया जाए और "संबंधित नहीं है/अन्य निदेशालय से संबंधित है" आदि जैसी टिप्पणियां देकर वापस न भेजा जाए। जिस संबंधित अधिकारी को नोटिस भेजा गया है, उन्हें न केवल कार्रवाई हेतु प्रश्न को स्वीकार करना होगा बल्कि समय पर इसकी कार्रवाई के लिए भी उन्हें पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा जब तक कि समीक्षा के उपरान्त/अथवा सचिव/रेलवे बोर्ड को भेजे जाने पर मार्किंग में परिवर्तन न किया जाए। **जब तक मार्किंग में कोई परिवर्तन न किया जाए, तब तक इसकी जिम्मेदारी उसी अधिकारी की होगी, जिसे प्रश्न मूल रूप से मार्क किया गया है।**

4.1 यह दोहराया जाता है कि यदि अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक/संयुक्त सचिव/महानिरीक्षक को यह लगता है कि किसी विशेष प्रश्न को गलत तरीके से मार्क किया गया है, तो इसे विधिवत रूप से सूचना और रिकॉर्ड के लिए, संसद शाखा के माध्यम से उनके द्वारा संबंधित निदेशालय (अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक/संयुक्त सचिव) को इस तरह के हस्तांतरण हेतु उचित कारण बताते हुए भेजा जाए।

-2/-

जहां कहीं आवश्यक हो, अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक/संयुक्त सचिव/महानिरीक्षक को विवाद सुलझाने हेतु अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न को अस्वीकार करते समय, प्रत्येक अधिकारी द्वारा सहायक दस्तावेजों के साथ विशिष्ट और विस्तृत कारणों को रिकॉर्ड किया जाए।

4.2 इसके बावजूद विवाद के मामले में इसे संगठन एवं पद्धति इकाई के माध्यम से सचिव/रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के लिए संसद शाखा की टिप्पणियों के साथ उचित तर्क/सहायक दस्तावेजों (संबंधित शाखा के संबंध में जिससे यह संबंधित है) के साथ सचिव/रेलवे बोर्ड को भेजा जाए। सचिव, रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा और इस पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी बाद के विवाद पर प्रश्न का उत्तर दिए जाने के बाद संबंधित शाखा की ड्यूटी सूची में शुद्धि पर्ची (करेक्शन स्लिप) जारी करने के कार्रवाई की जाए।

5. कृपया उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सं.2018/पार्ल/1/क्वेश्चन्स
दिनांक:08/01/2025

अरुणा नायर
(अरुणा नायर)
सचिव/रेलवे बोर्ड
टेली नं.: 011-23385227
ई-मेल:secyrb@rb.railnet.gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य/वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक और सदस्य/परिसंचलन एवं व्यवसाय विकास के प्रधान स्टाफ अधिकारी/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव
महनिदेशक/संरक्षा, महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल
सभी अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक
सभी कार्यपालक निदेशक/संयुक्त सचिव/महानिरीक्षक स्वतंत्र प्रभार के साथ और कार्यपालक निदेशक समवेत समन्वय

प्रतिलिपि प्रेषित:
कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)

अनुलग्नक-I

8.8. विवाद के स्थिति में संसदीय प्रश्नों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया:-

i) यदि कोई प्रश्न किसी मंत्री को गलती से संबोधित हो जाता है तो जिस मंत्रालय को अग्रिम प्रति भेजी गई है, उसे तुरंत उपयुक्त मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए और प्रश्न के हस्तांतरण के लिए उसकी सहमति प्राप्त करनी चाहिए। यदि मंत्रालय हस्तांतरण को स्वीकार कर लेता है तो इसकी सूचना तत्काल संसद सचिवालय को दी जानी चाहिए। ऐसे प्रश्नों का हस्तांतरण निरपवाद रूप से रेल मंत्रालय में संसद शाखा के माध्यम से किया जाना चाहिए।

ii) यदि कोई प्रश्न एक से अधिक मंत्रालयों से संबंधित है तो इसे मुख्य रूप से संबंधित मंत्रालय द्वारा लिया जाना चाहिए। जब इस प्रकार का प्रश्न प्राप्त होता है तो संबंधित शाखा को रेल मंत्रालय से संबंधित भाग से संबंधित प्रासंगिक सूचना अन्य मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए, दूसरे मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि वे इस प्रश्न को ले लेंगे या यदि रेल मंत्रालय द्वारा इस प्रश्न को ले लिया जाता है, जैसा भी मामला हो, अन्य मंत्रालय से सूचना प्राप्त करेंगे।

iii) क) यह देखा गया है कि कई बार प्रश्नों को चिह्नित करने के संबंध में निदेशालयों के बीच विवादों के कारण संसदीय प्रश्नों पर कार्रवाई आरंभ करने में विलंब हो जाता है। इस संबंध में विलंब को समाप्त करने के लिए, संसद अनुभाग संसदीय प्रश्नों के चिह्नाकंन को अंतिम माना जाना चाहिए। बहरहाल, यदि कोई अपर सदस्य, प्रधान कार्यपालक निदेशक या कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) का मत है कि प्रश्न उनके निदेशालय से संबंधित नहीं है तो वह इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से संयुक्त सचिव (संसद) या यदि आवश्यक हो तो सचिव के साथ चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बाद लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(ख) ऐसा प्रश्न जो बोर्ड कार्यालय के कई निदेशालयों से संबंधित है, उस पर कार्रवाई उस निदेशालय द्वारा की जाएगी, जिससे प्रश्न का पहला भाग संबंधित है। यदि पहला भाग अप्रासंगिक है या अमूर्त वाक्यांश को संदर्भित करता है या मुख्य मुद्दा प्रश्न के अन्य भाग पर आधारित है या एक से अधिक निदेशालय से संबंधित है तो प्रश्न पर कार्रवाई उस निदेशालय द्वारा की जाएगी जिससे मुख्य विषय संबंधित है और इस संबंध में सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। प्रश्न पर कार्रवाई करने वाला निदेशालय अन्य संबंधित निदेशालयों से आवश्यक सूचना एकत्रित करने और पूरा उत्तर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।